संं0-7/2018/221/29-3-2018- जी 38/2015

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 6 मार्च, 2018

विषय- जनपद बागपत के केन्द्र बिनौली पर विभाग की किरायेदारी में लिये गये श्री महेश चन्द्र जैन के गोदाम के किराया भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 ले0शा0/683/138/2015-16/बागपत/बिनौली, दिनांक 22-07-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद बागपत के केन्द्र बिनौली पर विभाग की किरायेदारी में लिये गये श्री महेश चन्द्र जैन के गोदाम के किराया भुगतान की स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत के केन्द्र बिनौली पर विभाग की किरायेदारी में लिये गये श्री महेश चन्द्र जैन के गोदाम, जिसकी भण्डारण क्षमता 9506 कुन्तल/बोरा है, जिलाधिकारी बागपत द्वारा निर्गत संशोधित किराया औचित्य प्रमाण पत्र दिनांक 5-3-2018 में दी गयी दर रू0 5.18 प्रति कुन्तल/बोरा के आधार पर कुल मासिक किराया रू0 49241.00 (रू0 उन्चास हजार दो सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 12-1-2015 से खाली किये जाने की तिथि तक किराया भुगतान की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त केन्द्र के लिये कम दर पर नया गोदाम तत्काल किराये पर लेकर प्रश्नगत गोदाम को खाली किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत गोदाम हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उसका उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्रापित तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं समपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम सी0ए0एस0एस0।।।टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
4- संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ संभाग मेरठ।
5- श्री महेश चन्द्र जैन पुत्र स्व0 श्री जय प्रकाश जैन, कस्बा बिनौली, तहसली बडौत जनपद-बागपत।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।